फा. सं. 6(2)/एफसीडी/2026-31
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

कक्ष सं. 10012, डी-विंग,
कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 30.07.2026

सेवा में,
मुख्य सचिव,
(सभी राज्य सरकारें)

विषय : 16वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए अनुशंसित "शहरी स्थानीय निकाय अनुदानों" संबंधी प्रचालनात्मक दिशानिर्देश।

महोदय,

16वें वित्त आयोग (एफसी-16) की अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए की गई अनुशंसाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी स्थानीय निकायों हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी किए जाने की अनुशंसा भी शामिल है।

2. भारत सरकार ने, अनुशंसा अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई संबंधी "व्याख्यात्मक ज्ञापन" के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, आयोग की रिपोर्ट (खंड-I एवं खंड-II) के अध्याय-10 "स्थानीय निकाय अनुदान" में निहित अनुशंसाओं को स्वीकार किया है।

3. इस संबंध में, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 16वें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदानों की रिहाई एवं उपयोग से संबंधित दिशानिर्देशों की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक आगे की कार्रवाई हेतु एतद्द्वारा अग्रेषित की जाती है।

4. हिंदी तथा अंग्रेजी पाठों के बीच किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

संलग्नक : यथोपरि।

महेश कुमार
भवदीय, 30/7/2026
(महेश कुमार)
संयुक्त निदेशक, भारत सरकार

प्रतिलिपि :
सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, संकल्प भवन, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली – 110001.

16वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की इसकी अधिनिर्णय अवधि के लिए अनुशंसित "शहरी स्थानीय निकाय अनुदानों" के लिए संचलनात्मक दिशानिर्देश

प्रस्तावना

1. 16वें वित्त आयोग (एफसी-16) ने इस बात को रेखांकित किया है कि शहरीकरण आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में, 16वें वित्त आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अधिनिर्णय अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अनुदानों के लिए कुल 3,56,257 करोड़ रुपये राशि की अनुशंसा की है, जिसमें एक विशेष अवसंरचना घटक के लिए 56,100 करोड़ रुपये और शहरीकरण प्रीमियम घटक के लिए 10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के खंड-II में यूएलबी अनुदान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार आवंटन का भी प्रावधान किया है।

2. केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक की अधिनिर्णय अवधि के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के बारे में 'व्याख्यात्मक ज्ञापन' के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ 'स्थानीय निकाय अनुदान' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट के अध्याय 10 में निहित अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है। 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यूएलबी अनुदानों का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष/घटक	**2026-27**	**2027-28**	**2028-29**	**2029-30**	**2030-31**	**कुल (2026-31)**
मूल	37,272	41,372	45,923	50,975	59,583	2,32,125
यूएलबी निष्पादन घटक	0	6,161	6,839	7,591	8,425	29,016
राज्य निष्पादन घटक	0	6,161	6,839	7,591	8,425	29,016
विशेष अवसंरचना घटक	6,000	12,525	12,525	12,525	12,525	56,100
शहरीकरण प्रीमियम	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
कुल	**45,272**	**68,219**	**74,126**	**80,682**	**87,958**	**3,56,257**

30/7

3. **अनुशंसित अनुदान**

3.1 शहरी स्थानीय निकाय-मूल और निष्पादन घटक

16वें वित्त आयोग ने यूएलबी अनुदान को 80:20 के अनुपात में मूल और निष्पादन घटकों में उप-विभाजित किया है। राज्य-वार मूल और निष्पादन अनुदानों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है

3.1.1 मूल घटक: 16वें वित्त आयोग ने मूल यूएलबी अनुदान के लिए 2,32,125 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। इसके अतिरिक्त, मूल अनुदान को आबद्ध घटक के लिए 50 प्रतिशत और शेष 50 प्रतिशत को अनाबद्ध घटक के रूप में विभाजित किया गया है।

(i) अनाबद्ध अनुदान: भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 विषयों में परिकल्पित स्थानीय रूप से पहचानी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 16वें वित्त आयोग ने वेतन या अन्य स्थापना संबंधी व्यय को छोड़कर, अनाबद्ध अनुदान के रूप में कुल 116,062.50 करोड़ रुपये (मूल घटक का 50%) की राशि की अनुशंसा की है।

(ii) आबद्ध अनुदान: 16वें वित्त आयोग ने स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और/या जल प्रबंधन के लिए 116,062.50 करोड़ रुपये (मूल घटक का 50%) की अनुशंसा की है। आबद्ध घटक के भीतर, यूएलबी को ओ एंड एम (O&M) व्यय सहित इन क्षेत्रों में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध है।

3.1.2 **निष्पादन घटक:** 16वें वित्त आयोग ने यूएलबी अनुदान के कुल निष्पादन घटक के रूप में 58,032 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है, जिसे 29,016 करोड़ रुपये के दो बराबर हिस्सों में ,अर्थात (i) यूएलबी निष्पादन घटक; ii) राज्य निष्पादन घटक, विभाजित किया गया है। यूएलबी और राज्य निष्पादन दोनों घटक अधिनिर्णय अवधि के दूसरे वर्ष अर्थात 2027-28 से शुरू होंगे। संपूर्ण निष्पादन घटक अनुदान अनाबद्ध प्रकृति का होगा।

3.2 **शहरीकरण प्रीमियम घटक**: 16वें वित्त आयोग ने कम से कम एक लाख की मौजूदा आबादी वाले निकटवर्ती बड़े यूएलबी में अर्ध-शहरी गांवों के विलय के लिए प्रोत्साहन के रूप में एकमुश्त अनुदान की अनुशंसा की है। संपूर्ण अधिनिर्णय अवधि के लिए शहरीकरण प्रीमियम घटक के रूप में कुल 10,000 करोड़ रुपये की राशि अनुशंसित की गई है।

3.3 **विशेष अवसंरचना घटक:** शहरी विकास केंद्रों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन में निर्णायक पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए 56,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित शहरों में यूएलबी के लिए एक विशेष अवसंरचना घटक की अनुशंसा की गई है।

30/7

4. यूएलबी अनुदानों का वितरण

4.1 यूएलबी अनुदानों का राज्यवार आपस में आवंटन

राज्यों के बीच मूल एवं निष्पादन अनुदान घटकों के आवंटन के लिए, 16वें वित्त आयोग द्वारा 2026 की शहरी आबादी को 90 प्रतिशत का भार तथा स्वयं से स्रोत राजस्व (ओएसआर) के आधार पर सूचकांक को 10 प्रतिशत का भार सौंपा गया है। राज्य-वार आपसी हिस्से का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

4.2 राज्य के भीतर यूएलबी अनुदान का आवंटन

16वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि प्रत्येक राज्य के भीतर विधिवत गठित यूएलबी को अनुदानों का वितरण संबंधित राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की नवीनतम स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार किया जाए। एसएफसी की अनुशंसाओं के अभाव में, राज्य अनुदान का 90 प्रतिशत सभी यूएलबी की जनसंख्या के योग में यूएलबी के हिस्से के अनुसार और 10 प्रतिशत ओएसआर-आधारित मानदंडों के अनुसार आवंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि पैरा 4.1 में उल्लिखित है।

5. छूट प्राप्त क्षेत्रों की व्यवस्था

आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा करने के लिए, 16वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग IX-ए के कार्यक्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के समान माना है। संबंधित राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों के संबंध में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप आवंटन करेगी। संबंधित राज्य सरकार अधिनिर्णय अवधि अर्थात् वर्ष 2026-27 की शुरुआत में इन क्षेत्रों को वर्ष/ पांच वर्ष की अधिनिर्णय अवधि में किसी राज्य को देय कुल यूएलबी अनुदानों में से वर्षवार अनुदान आवंटित करेगी और इसकी सूचना व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) को देगी। तदनुसार, इन दिशा-निर्देशों के तहत अनुदान जारी करने के लिए निर्धारित सभी शर्तें, जो भी लागू हों, संविधान के भाग IX-ए के दायरे से बाहर के क्षेत्रों पर लागू होंगी।

6. यूएलबी अनुदान जारी करने की शर्तें

6.1 यूएलबी अनुदान जारी करने के लिए आरंभिक स्तर की शर्तें

16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यूएलबी अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए, राज्यों/यूएलबी को आरंभिक स्तर की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

6.1.1 संविधान के भाग IX-ए में यथापेक्षित अर्थात जहां चुनाव हो चुके हैं और एक निर्वाचित निकाय मौजूद है, विधिवत गठित यूएलबी है।

6.1.2 वित्तीय वर्ष टी (जिस वर्ष के लिए अनुदान की अनुशंसा की गयी है) में, राज्य के सभी यूएलबी के वित्तीय वर्ष टी-1 के अनंतिम खाते और वित्तीय वर्ष टी-2 के लेखापरीक्षित खाते सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे मामलों में, जहां यूएलबी का केवल एक भाग ही इस शर्त को पूरा करता है, राज्य को अनुदान इस शर्त को पूरा करने वाले यूएलबी के अनुपात में जारी किया जाएगा। यूएलबी के लेखापरीक्षित खाते में कम से कम बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण और आवश्यक अनुसूचियों के साथ नकद प्रवाह का विवरण शामिल होना चाहिए।

3017

6.1.3 सभी राज्य पिछले एसएफसी के गठन से पांच वर्ष की समाप्ति पर एसएफसी के गठन के संवैधानिक प्रावधान का पालन करेंगे। एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को राज्य विधानमंडल में पेश किया जाना चाहिए।

6.2 **यूएलबी निष्पादन घटक**: यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) को वर्ष टी (T) में निष्पादन घटक अनुदान के लिए पात्र बनने हेतु, वर्ष टी-1 में अपने वर्ष टी-2 के अपने स्रोत राजस्व (OSR) का न्यूनतम 1.05 गुना या वर्ष 2025-26 के ओएसआर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि (जो भी कम हो) एकत्र करना होगा। यूएलबी निष्पादन घटक को जारी करने के लिए अर्हक मानदंड के तहत ओएसआर की गणना के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि ब्याज प्राप्तियाँ, समनुदिष्ट राजस्व, उधार/ऋण अथवा राज्य सरकार या संघ सरकार से प्राप्त कोई अन्य अंतरण ओएसआर का हिस्सा नहीं होगा।

6.3 **राज्य निष्पादन घटक:** वर्ष टी के लिए, राज्य वर्ष टी -1 में अपने स्वयं के संसाधनों से यूएलबी को वर्ष टी -1 के लिए 16 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मूल अनुदान का कम से कम 20 प्रतिशत या उससे अधिक अनुदान हस्तांतरित करेगा। इस शर्त के प्रयोजनों के लिए हस्तांतरण की मात्रा का पता लगाने के लिए राज्य द्वारा यूएलबी के साथ वैधानिक रूप से सौंपे गए और साझा किए गए राजस्व को इन हस्तांतरणों में शामिल किया जाएगा। हालांकि, वित्त आयोग अनुदान, केंद्र प्रायोजित योजना हस्तांतरण, बाहरी सहायता प्राप्त धनराशि, या केंद्र सरकार से पास-थ्रू हस्तांतरण को बाहर रखा जाएगा।

7. **अवितरित निष्पादन अनुदान का प्रबंधन:** यदि राज्य/यूएलबी द्वारा निष्पादन अनुदान की पात्रता के लिए कोई शर्त पूरी नहीं की गई है, तो निष्पादन अनुदान का अवितरित भाग निम्नलिखित पद्धति के अनुसार वितरित किया जाएगा:

(i) यूएलबी द्वारा शर्तों को पूरा न कर पाने के कारण यूएलबी निष्पादन घटक का अवितरित भाग उसी राज्य के निष्पादन करने वाले यूएलबी को वितरित किया जाएगा।

(ii) शर्तों को पूरा करने में राज्य की विफलता के कारण राज्य के निष्पादन घटक के अवितरित भाग को 16वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राज्य-स्तरीय पारस्परिक मानदंडों के अनुसार निष्पादन करने वाले राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा।

(iii) राज्यों और राज्य के भीतर यूएलबी के बीच, जैसा भी मामला हो, अनुदानों के अवितरित निष्पादन घटक का वितरण, यूएलबी अनुदानों के वितरण के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्रों के अनुसार किया जाएगा।

यह प्रावधान किया गया है कि यूएलबी/राज्य निष्पादन अनुदानों के अवितरित भाग के मामले में, प्रति यूएलबी/राज्य अधिकतम राशि उस यूएलबी/राज्य को 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मूल अनुदान के संबंधित वर्ष के वार्षिक आवंटन से अधिक नहीं होगी।
अनुदान जारी करने के लिए पात्रता शर्तों और समय-सीमा का सारांश अनुलग्नक-III में दिया गया है।

30/7

8. यूएलबी अनुदान जारी करना:

8.1 मूल अनुदान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष दो समान किस्तों में जारी किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा पर, पिछली किस्त का अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर पहली किस्त जून में और दूसरी अक्टूबर में जारी की जाएगी।

8.2 निष्पादन अनुदान एकल किस्तों अर्थात (i) जून के महीने में राज्य निष्पादन अनुदान और अक्टूबर के महीने में इसका अवितरित भाग, (ii) अक्टूबर के महीने में यूएलबी निष्पादन अनुदान और दिसंबर के महीने में इसका अवितरित भाग जारी किया जाएगा।

9 यूएलबी अनुदानों के उपयोग संबंधी सीमाएं

9.1 शहरी स्थानीय निकाय को सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर अनाबद्ध आवंटन का 20 प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए (जिसमें सभी प्रकार की पक्की सतहें शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, जैसे कि बिटुमिनस/ब्लैक-टॉप्ड/डामर, सीमेंट कंक्रीट/कंक्रीट, इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक फुटपाथ, बजरी, मिट्टी आदि)।

9.2 अनाबद्ध अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान या प्रतिष्ठान से संबंधित अन्य व्यय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यूएलबी के संबंध में लेखा परीक्षा और लेखा कार्यों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध पेशेवर सेवाओं की नियुक्ति पर व्यय 16वें वित्त आयोग अनुदानों के अनाबद्ध घटक से वहन किया जा सकता है।

10 विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रस्ताव

10.1 16वें वित्त आयोग ने अनुसंशा की है कि यूएलबी आबद्ध और अनाबद्ध दोनों अनुदानों के तहत की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के लिए प्रस्ताव पारित करें। यूएलबी सिटी एक्शन प्लान (सीएपी) तैयार कर सकते हैं, जिसमें सेवा स्तर के अंतराल और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर क्षेत्रवार प्राथमिकताओं की पहचान करना, और इन्हें परिणाम-आधारित प्रदेय मद में परिवर्तन करना शामिल है।

10.2 यदि यूएलबी सार्वजनिक डोमेन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एच एंड यूए मंत्रालय) द्वारा निर्धारित 28 सेवा स्तर के बेंचमार्क (एसएलबी) को प्रकाशित करने की शर्त का अनुपालन करता है तो उसे पात्र माना जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अनुदान जारी करने के लिए सिफारिशें करने से पहले इन एसएलबी/निष्पादन संकेतकों का आकलन करेगा। तथापि, नवगठित यूएलबी के मामले में, एसएलबी के प्रकाशन की शर्त अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

10.3 16वें वित्त आयोग ने अनुसंशा की है कि यूएलबी/शहरों द्वारा एसएलबी के लिए स्वयं सूचित किए गए आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकारों, यूएलबी और सीएजी के सहयोग से, इन स्वयं सूचित किए गए आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए कतिपय सीमा तक प्रमाणीकरण/सत्यापन तंत्र शुरू कर सकता है।

10.4 16वें वित्त आयोग ने अनुसंशा की है कि राज्यों को संपत्ति कर की कुशल गणना, मूल्यांकन और संग्रह के लिए एक नागरिक अनुकूल जीआईएस आधारित संपत्ति कर आईटी प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

30/7

11 शहरीकरण प्रीमियम घटक

11.1 प्रस्तावना

11.1.1 शहरीकरण प्रीमियम घटक का उद्देश्य विलय किए गए क्षेत्रों में शहरी अवसंरचना और सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय का समर्थन करके अर्ध-शहरी गांवों के निकटवर्ती यूएलबी में विलय को प्रोत्साहित करना है।

11.1.2 इस उद्देश्य के लिए, 16वें वित्त आयोग ने अधिनिर्णय अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए "शहरीकरण प्रीमियम" घटक के तहत कुल 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन की अनुशंसा की है। इसे प्रति व्यक्ति 2,000 रुपये की एकमुश्त पात्रता राशि के रूप में वितरित किया जाना है, जिसकी गणना यूएलबी में शामिल किए जा रहे नए क्षेत्र की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) पर की जाएगी।

11.2.1 16वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि 10,000 करोड़ रुपये की कुल राशि को पांच वर्ष की अवधि में निम्नानुसार विभाजित किया जाए:

(करोड़ रुपये में)

अनुदान घटक	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	कुल (2026-31)
शहरीकरण प्रीमियम	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	**10,000**

11.2 शहरीकरण प्रीमियम अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया

11.2.1 परिवर्तन नीति और पात्र क्षेत्रों की पहचान करना

राज्य सरकार, राज्य नोडल विभागों के परामर्श से, कम से कम एक लाख की मौजूदा आबादी वाले बड़े यूएलबी के निकटवर्ती अर्ध-शहरी गांवों की पहचान करेगी और शहरी विशेषताओं को पूरा करने वाले क्षेत्रों की समय पर और नियम-आधारित पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट परिवर्तन नीति स्थापित करेगी। इस नीति में एक सुपरिभाषित और समयबद्ध तंत्र और शहरी प्रशासनिक इकाइयों में उनके परिवर्तन के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण को शामिल किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन के लिए उपयुक्त शहरी प्रशासनिक क्षमताओं और तंत्रों की स्थापना, नागरिकों को शहरी सेवाओं और अवसंरचना के प्रावधान और नए प्रशासन को रिकॉर्ड और सूचना के निर्बाध अन्तरण के लिए राज्य परिवर्तन अवधि का उपयोग कर सकता है। परिवर्तन नीति के निम्नलिखित घटक हो सकते हैं:

(i) परिवर्तनकारी क्षेत्रों की पहचान, मूल्यांकन और अधिसूचना की विस्तृत प्रक्रिया।

(ii) प्रत्येक जनगणना के बाद और अधिकतम 3 वर्ष के नियमित अंतराल पर अर्हक बस्तियों में से परिवर्तन बस्तियों आबादी के बीच परिवर्तनकारी आबादी की पहचान करना, जिसमें

30/7/2026

परिवर्तन के लिए योग्य बस्तियों के कम से कम एक तिहाई को शामिल करने की शर्त है।

(iii) निम्नलिखित के लिए विस्तृत परिवर्तन योजना (लगभग 3 वर्ष की सीमा के साथ):

(क) वित्त, स्टाफ, सेवा वितरण और मूल ढांचे पर प्रभाव का मूल्यांकन।

(ख) नागरिक सेवा वितरण और अवसंरचना मानकों को निश्चित न्यूनतम पूर्व-निर्धारित स्तरों तक बढ़ाने के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता।

(ग) संपत्ति कर और उपभोक्ता शुल्क जैसे करों का चरणबद्ध अधिरोपण।

(घ) मास्टर प्लान और भूमि उपयोग परिवर्तन विनियमों पर निहितार्थ।

(ड़) कार्यालय, परिसंपत्तियों, अभिलेखों और कर्मचारियों के संबंध में संस्थागत निरंतरता।

(च) सार्वजनिक परामर्श और नागरिक संचार।

(iv) एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र के साथ राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों, जिला प्रशासन, पूर्ववर्ती आरएलबी और नवगठित यूएलबी की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां।

11.2.2 परिवर्तन नीति के आधार पर, राज्य सरकार अर्ध-शहरी क्षेत्रों को यूएलबी में विलय के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी।

11.2.3 विलय की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार शहरीकरण प्रीमियम अनुदान की मांग करते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को एक प्रस्ताव अग्रेषित करेगा। शहरीकरण प्रीमियम घटक के प्रस्ताव में ग्रामीण से शहरी परिवर्तन नीति (परिवर्तन योजना सहित) की अधिसूचना, शहरी स्थानीय निकाय में शामिल किए जा रहे अर्ध-शहरी क्षेत्र को स्पष्ट करते हुए विलय अधिसूचना को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि विलय राज्य की परिवर्तन नीति के अनुसार है।

11.2.4 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय राज्य को प्रदान किए जाने वाले अनुदान की पात्रता और मात्रा का निर्धारण करेगा। इसके अलावा, 16वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों और निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरीकरण प्रीमियम अनुदान जारी करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को अनुशंसा करेगा।

11.3 शहरीकरण प्रीमियम अनुदान जारी करने की शर्तें

आरंभिक स्तर की शर्तों, जैसे विधिवत निर्वाचित स्थानीय निकाय, खातों की उपलब्धता और राज्य वित्त आयोग का गठन (जैसा कि पैरा -6.1 में उल्लेख किया गया है) के अलावा, शहरीकरण प्रीमियम अनुदान का दावा करने के लिए ग्रामीण-से-शहरी परिवर्तन नीति का निर्माण एक पूर्व शर्त होगी। आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से अनुशंसा प्राप्त होने और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर,

30/7/2026

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय पात्र राज्यों को शहरीकरण प्रीमियम अनुदान जारी करेगा, जिसे आगे संबंधित यूएलबी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

11.4 शहरीकरण प्रीमियम अनुदान का उपयोग

शहरीकरण प्रीमियम अनुदान का उपयोग यूएलबी द्वारा नए शामिल किए गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन या नागरिक सेवाओं के प्रावधान के लिए क्षमता के उन्नयन के लिए किया जाएगा। अनुदान का उपयोग अनुमोदित परिवर्तन योजना के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकार को अनुबंध-V के अनुसार अनुदान हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (जीटीसी) प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान या अन्य प्रतिष्ठान से संबंधित व्यय के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

12 विशेष अवसंरचना घटक:

16वें वित्त आयोग ने व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन में निर्णायक पहल की सुविधा के लिए कुल 56,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चयनित शहरों में यूएलबी के लिए एक विशेष अवसंरचना घटक (एसआईसी) की अनुसंशा की है।

12.1 विशेष अवसंरचना घटक के तौर-तरीके:

12.1.1 एसआईसी का उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार, 40 लाख से कम लेकिन 10 लाख से अधिक आबादी वाले चुनिंदा शहरों में यूएलबी के लिए एक एकीकृत अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के विकास का समर्थन करना है, जो प्रति राज्य दो तक सीमित है। एसआईसी अनुदान के लिए चुने गए शहरों की सूची अनुबंध-IV में दी गई है।

12.1.1 एसआईसी के लिए अनुशंसित राशि का उपयोग 15 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में 5,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं और 15 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 3500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

12.1.2 केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत योगदान देगी, और शेष 40% लागत का योगदान राज्य सरकार और संबंधित यूएलबी द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा। राज्य और यूएलबी परियोजना लागत के शेष 40 प्रतिशत में धन के बंटवारे का पारस्परिक रूप से निर्णय लेंगे। वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यूएलबी अनुदान का उपयोग उपरोक्त 40 प्रतिशत हिस्से के लिए राज्य/यूएलबी योगदान के रूप में नहीं किया जाएगा।

12.2 एसआईसी प्रस्तावों का प्रसंस्करण और मूल्यांकन:

12.2.1 अधिनिर्णय अवधि के पहले वर्ष में, यूएलबी (जो अनुदान प्राप्त करना चाहता है) को आवंटित राशि के भीतर व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आवश्यक पहलों के

30/7/2026

प्रकार पर एक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। यूएलबी को वर्ष-वार लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार करना अपेक्षित है।

12.2.2 व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली परियोजनाओं में निम्नलिखित निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हो सकते हैं:

क. मौजूदा जल निकासी नेटवर्क का उन्नयन, जिसमें वर्षा जल और भूमिगत जल निकासी प्रणालियों को अलग करना शामिल है।

ख. शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों तक अपशिष्ट जल नेटवर्क का विस्तार करना।

ग. अपशिष्ट जल से संबंधित समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करना और क्षेत्र-विशिष्ट कार्य करना।

घ. अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आवश्यक प्राकृतिक जल निकासी मार्गों की बहाली और हरित बुनियादी ढांचे का विकास करना।

ङ. बिना राजस्व वाले जल में कमी करना।

च. निगरानी प्रणाली और अपशिष्ट जल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों का विकास करना।

12.2.3 संबंधित यूएलबी राज्य सरकार को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें पैरा 12.2.2 में परिकल्पित अपेक्षित पहल करना शामिल हैं। सचिव, शहरी विकास की अध्यक्षता में राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) का गठन करेगी, जिसमें राज्य नोडल विभाग के सदस्य और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। एसएलटीसी परियोजना की व्यवहार्यता का आकलन करेगा और मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:

क. इंजीनियरिंग डिजाइन, मॉडलिंग और वैज्ञानिक पद्धति के सत्यापन सहित तकनीकी व्यवहार्यता;

ख. मौजूदा सिद्धांतों और नियमों के अनुसार लागत अनुमानों की युक्तिसंगतता;

ग. चल रही केंद्रीय/राज्य योजनाओं/परियोजनाओं के साथ दोहराव से बचना;

घ. कार्यान्वयन समय सीमा और चरणबद्धता;

ङ. प्रासंगिक कार्यक्रमों के साथ संमिलन;

च. यह सुनिश्चित करना कि धनराशि निष्क्रिय न पड़ी रहे;

छ. यह सुनिश्चित करना कि नियमित स्थापना व्यय, जैसे वेतन और कार्यालय व्यय, प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं।

12.2.4 एसएलटीसी द्वारा मूल्यांकन की गई समेकित परियोजना/डीपीआर को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के समक्ष रखा जाएगा। एसएचपीएससी वित्तीय व्यवहार्यता, तकनीकी व्यवहार्यता,

30/7/2026

कार्यान्वयन समय-सीमा, संमिलन और दोहराव से बचने आदि को ध्यान में रखते हुए एसआईसी परियोजना(ओं) का मूल्यांकन और अनुमोदन करेगा।

12.2.5 एसएचपीएससी द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद, एसआईसी अनुदान के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार की शीर्ष/मूल्यांकन समिति (इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित) को प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण हो और इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार हो।

12.2.6 इस समिति का गठन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। समिति में केंद्र सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी और कार्य क्षेत्र विशेषज्ञ आदि शामिल हो सकते हैं।

12.2.7 राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर समिति, यदि उचित पाएगी, तो एसआईसी से वित्तपोषण के लिए प्राप्त राज्य सरकार की परियोजना को अनुमोदित या अस्वीकार करेगी। परियोजना के अनुमोदन पर विचार करते समय, समिति बड़ी परियोजनाओं की परिकल्पना करने और चल रही योजनाओं के साथ परियोजना के ओवरलैपिंग के लिए संबंधित यूएलबी की क्षमता को भी ध्यान में रखेगी।

12.2.8 समिति की मंजूरी के बाद, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार और संबंधित यूएलबी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए तकनीकी आवश्यकताएं, वित्तीय परिव्यय, केंद्र-राज्य-यूएलबी फंड-शेयरिंग पैटर्न, व्यय की चरणबद्धता, संस्थागत जिम्मेदारियां और लक्ष्य-आधारित फंड जारी करने के ढ़ांचे आदि जैसे परियोजना के विवरण होने चाहिए।

12.2.9 एसआईसी अनुदान से शुरू की गई परियोजनाओं के सत्यापन योग्य और मापने योग्य परिणाम होने चाहिए। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार के परामर्श से, संसाधनों के आवंटन और उपयोग के लिए अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक परिणामी ढांचा विकसित करेगा। समझौता ज्ञापन के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, राज्य और यूएलबी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए खुद को संरेखित करेंगे।

12.2.10 एसआईसी के तहत केंद्र का हिस्सा पहले लक्ष्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जारी किया जाएगा। परियोजना में लक्ष्यों को हासिल करने के बाद अगली किस्त राज्य सरकार को जारी कर दी जाएगी। राज्य सरकार स्थापित प्रक्रिया

30/7/26

के अनुसार, एसआईसी परियोजना में केन्द्र का हिस्सा प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर केंद्र के हिस्से के साथ अपना हिस्सा हस्तांतरित करेगी।

12.2.11 यूएलबी में केंद्र और राज्य का हिस्सा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यूएलबी परियोजना में अपने हिस्से का योगदान करे।

12.2.12 अनुदान जारी करने के लिए पात्र बनने के लिए प्राप्त किए जाने वाले भौतिक और वित्तीय लक्ष्य इस प्रकार हैं:

लक्ष्य/किस्त	**जारी किए जाने वाले केंद्र के अनुदान का प्रतिशत**	**वित्तीय प्रगति**	**भौतिक प्रगति**
प्रथम	केंद्र के हिस्से का 20%	त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना	-
दूसरा	केंद्र के हिस्से का 40%	जारी की गई कुल राशि के 75% के उपयोग के अधीन (राज्य + केंद्र + यूएलबी हिस्सेदारी)	10% कार्य पूरा होना
तीसरा	केंद्र के हिस्से का 20%		50% कार्य पूरा होना
चौथा/अंतिम	केंद्र के हिस्से का 20%		100% कार्य पूरा होना

12.2.13 16वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि अर्थात वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 के दौरान एसआईसी अनुदान से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को इस तरह से मंजूरी दी जाएगी कि इन्हें आयोग की अधिनिर्णय अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। इस घटक के तहत अनुमोदित निधियों के स्पिल-ओवर की अनुमति नहीं दी जाएगी। वित्त आयोग की अवधि के बाद स्पिल-ओवर, यदि कोई हो, का वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा।

12.2.14 शहरों/यूएलबी को अपने राजस्व के स्रोतों से भविष्य के संचालनों और योजना के तहत बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव संबंधी व्यय के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए।

12.3 एसआईसी अनुदान जारी करने की शर्तें

यूएलबी केंद्र सरकार से अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ आरंभिक स्तर की सभी शर्तों, जैसे विधिवत निर्वाचित स्थानीय निकाय, खातों की उपलब्धता और राज्य वित्त आयोग का गठन (जैसा कि पैरा -6.1 में उल्लिखित है) को पूरा करेगा।

13 पिछले वित्त आयोगों की अव्ययित शेष राशि

13.1 धन की निष्क्रियता से बचने के लिए, यूएलबी अनुदान 2026-27 की पहली किस्त जारी करने के अनुरोध को अग्रेषित करते समय, राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यूएलबी

30/1/2026

के पास 14वें वित्त आयोग या पिछले क्रमिक आयोगों की कोई अव्ययित राशि शेष उपलब्ध नहीं है।

13.2 वित्तीय वर्ष 2028-29 (अर्थात अधिनिर्णय अवधि का तीसरा वर्ष) से यूएलबी के पास उपलब्ध 15वें वित्त आयोग (एफसी-15) की अव्ययित धनराशि के संबंध में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को परामर्श दिया गया है कि वह उन स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने की अनुसंशा न करें, जिनके पास एफसी-15 की अव्ययित शेष राशि जारी करने के लिए विचाराधीन किस्त के 10% से अधिक है। इसके अलावा, वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के चौथे वर्ष से केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को अनुदान की अनुसंशा की जानी चाहिए जिनके पास 15वें वित्त आयोग की कोई अव्ययित राशि शेष नहीं है।

13.3 यूएलबी संबंधित वित्त आयोग (आयोगों) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अव्ययित शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं।

14 लेखांकन और लेखा परीक्षा

14.1 सभी यूएलबी राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) का पालन करेंगे और मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार लेखों का रखरखाव करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी वित्तीय लेनदेन (प्राप्तियां और व्यय दोनों) एक आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठीक से दर्ज किए जाएं। सीएजी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखा जाना चाहिए।

14.2 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के भावानुसार, "खातों की उपलब्धता" की शर्तों को पूरा करने के लिए वित्त आयोग अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं और संबंधित यूएलबी के ओएसआर सहित यूएलबी के खातों में सभी स्रोतों से प्राप्त राशियों और व्यय को दर्शाया जाना चाहिए। वित्तीय लेखों की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने और लेनदेन के एंड-टू-एंड लेखांकन को सक्षम करने के लिए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एक समर्पित आईटी प्लेटफॉर्म के विकास या मौजूदा प्रणाली के उन्नयन सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

14.3 व्यय विभाग को अनुदान जारी करने की अनुशंसा करने से पहले, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय लेखा परीक्षा प्रमाणन की गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी करेगा। तदनुसार, यूएलबी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में दर्शायी गई संशोधित लेखा परीक्षा के विचार (प्रतिकूल अथवा अस्वीकृत) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

14.4 अनुकूलता और संचालनात्मक सुविधा के लिए, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी यूएलबी पीएफएमएस से जुड़े 16वें वित्त आयोग अनुदान के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में ब्याज-धारक बैंक खाता बनाए रखेंगे और संपूर्ण अधिनिर्णय अवधि के लिए प्रत्येक लेनदेन के लिए रिकॉर्ड बनाए रखेंगे।

30/7/2026

15 **शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान का हस्तांतरण:** राज्य सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने पर, इसे दस कार्य दिवसों के भीतर संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अंतरित करेगी। 10 कार्य दिवसों से अधिक की किसी भी प्रकार के विलंब के लिए राज्य सरकारों को पिछले वर्ष के लिए बाजार उधारों/राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) पर ब्याज की औसत प्रभावी दर के अनुसार विलंब की अवधि के लिए ब्याज के साथ अनुदान जारी करना होगा।

16 **अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र** :- यूएलबी/राज्य को धन राशि के हस्तांतरण में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र एक पूर्वापेक्षा है। राज्यों को केंद्र सरकार से प्राप्त अंतिम किस्त के लिए अनुबंध-V में निर्धारित प्रारूप में अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसके साथ आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को इसके बाद की किस्त का दावा प्रस्तुत करना होगा।

17 **उपयोग रिपोर्ट:-**

17.1 राज्य एक वर्ष की दूसरी किस्त के दावे के साथ अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र में प्रमाणित करेंगे कि यूएलबी ने पिछले वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदान का कम से कम 50% क्रमशः आबद्ध और अनाबद्ध दोनों अनुदानों के लिए उपयोग किया है। यूएलबी पहली किस्त / अगले वर्ष की किस्त के दावे के साथ वार्षिक रूप से एक उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। राज्य अनुबंध-VI के अनुसार, नोडल मंत्रालय (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) को उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से उन मदों को दर्शाया जाएगा जिन पर निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के अनुरूप व्यय किया गया है।

17.2 16वें वित्त आयोग अनुदानों का उचित उपयोग और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, 16वें वित्त आयोग अनुदान से सृजित की गई सभी परिसंपत्तियों/संरचनाओं को जियो-टैग/जियो-फेंसिंग किया जाना चाहिए। यह स्थान-आधारित पहचान, वास्तविक समय की निगरानी और बेहतर पारदर्शिता को सक्षम बनाएगा।

17.3 स्वयं के स्रोत से राजस्व या आबद्ध और शर्त रहित अनुदान से व्यय के संबंध में 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल सत्यापन प्रोटोकॉल विकसित और निर्धारित किया जा सकता है।

17.4 इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना वास्तविक/अंतिम आंकड़ों के आधार पर अंतिम रूप देने के

30/1/2026

अधीन होगी, जैसा कि शहरी स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों में दर्शाया गया है अथवा ऐसे रिकॉर्डों और स्रोतों के माध्यम से केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित सत्यापित किया गया है।

18 **16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्थानीय निकायों के अनुदानों का पीएफएमएस के साथ एकीकरण**

पीएफएमएस सभी राज्यों की ट्रेजरी प्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य भारत सरकार की योजनाओं के साथ अपनी प्राप्ति और व्यय शीर्षों की मैपिंग करके विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए व्यय का विवरण साझा करते हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप, राज्य सरकारें अपनी प्रणालियों को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करेंगी, जो 16वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यूएलबी अनुदानों के व्यय और प्राप्तियों के आंकड़ों के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगी। अनुदान हस्तांतरण के संबंध में राज्य द्वारा दी गई सूचना को धन राशि जारी करने के लिए व्यय विभाग को अनुसंशा भेजने से पहले पीएफएमएस से आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मान्य किया जाएगा।

19 **अधिनिर्णय अवधि के लिए यूएलबी अनुदान का राज्य-वार आवंटन :-** एसआईसी सहित यूएलबी अनुदानों का राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटन 16वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुबंध 10.7 से 10.11 (खंड-II) में दिया गया है, जिसे अनुबंध-I, II और IV में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

20 **संमिलन**: 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट के अध्याय 10 में अन्य बातों के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन देने और मजबूत करने के लिए अनुदानों की अनुसंशा की है, जो स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन आदि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं। भारत सरकार ने इसी प्रकार के परिणामों के उद्देश्य से कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT), स्वच्छ भारत मिशन (SBM), और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) आदि जैसी कुछ योजनाएं भी शुरू की हैं। इन योजनाओं में प्राप्त की गई उपलब्धियों को बनाए रखने के लिए, सरकार के सभी तीन स्तरों को सहकारी संघवाद की भावना से हाथ मिलाने की आवश्यकता है। इसलिए, शहरी स्थानीय निकाय अधिकतम जनसंख्या को कवर करने के अंतिम उद्देश्य के साथ समान परिणामों और क्षेत्राधिकार के साथ केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी अन्य योजना के संमिलन में अनुदान घटकों का उपयोग कर सकते हैं।

तथापि, 16वें वित्त आयोग के अनुदान का उपयोग एसआईसी सहित किसी विशेष योजना के लिए राज्य/यूएलबी के हिस्से के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

21 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की भूमिका

(i) 16वें वित्त आयोग ने अध्याय 10 के तहत यूएलबी से संबंधित अपनी सिफारिशों में यूएलबी की वित्तीय स्थिरता, पारदर्शिता और सेवा वितरण मानकों को मजबूत करने में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए एक बढ़ी हुई भूमिका की परिकल्पना की है।

(ii) तदनुसार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्दिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूएलबी के वित्तीय और कार्य निष्पादन आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और प्रसार के लिए एक सुदृढ़ और मानकीकृत ढांचे का संचालन और रखरखाव करेगा। मंत्रालय नगरपालिका लेखांकन प्रणालियों, स्वयं के स्रोत से राजस्व की समय पर रिपोर्टिंग, संपत्ति कर संग्रह, उपयोगकर्ता शुल्क, प्राप्त अनुदान और लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों में एकरूपता सुनिश्चित करेगा।

(iii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय लेखों और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में यूएलबी की सहायता करने के लिए शहरी डेटा प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का विस्तार कर सकता है।

(iv) मंत्रालय जल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्रमुख शहरी सेवाओं के संबंध में निर्धारित सेवा स्तर के मानदंड के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन करेगा। यह सेवा वितरण परिणामों में औसत दर्जे का सुधार प्राप्त करने के लिए यूएलबी के संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा।

(v) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की अवधारणा और उसकी शुरुआत करने की दिशा में कार्य कर सकता है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यूएलबी को अंतरित अनुदानों को समय पर जारी करने, उचित उपयोग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के समन्वय में कार्य करेगा। यह अनुदानों के उपयोग, राज्य वित्त आयोगों के गठन और कार्य और लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करने सहित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी करेगा।

22. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की भूमिका

नोडल मंत्रालय अर्थात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से अनुशंसा प्राप्त होने पर, व्यय विभाग (एफसीडी), वित्त मंत्रालय संबंधित राज्यों को अनुदान की देय किस्त जारी करेगा, जो उपरोक्त दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

30/7/2026

23. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद

अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सभी अधिप्राप्तियां राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा नवीनतम सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार की जाएंगी ताकि अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता प्राप्त की जा सके। वस्तुओं और/अथवा सेवाओं की सभी खरीद प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर की जानी चाहिए।

24 छूट देने की शक्ति

ऊपर उल्लिखित सभी बातों के बावजूद, व्यय विभाग किसी भी शर्तों/पूर्व-शर्तों में संशोधन करने /छूट प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो किसी भी अप्रत्याशित घटना को कवर करने के लिए या किसी भी आपात स्थिति के मामले में या किसी अन्य कारण से उपयुक्त समझा जा सकता है।

****

30/7/2026

अनुबंध-I

यूएलबी मूल और निष्पादन घटक

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		कुल 2026-31		कुल जोड़ (मूल + निष्पादन) [2026-31]
	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	मूल	निष्पादन	
आंध्र प्रदेश	1,562	0	1,734	516	1,924	573	2,136	636	2,371	706	9,727	2,431	**12,158**
अरुणाचल प्रदेश	30	0	33	10	37	11	41	12	45	14	186	47	**233**
असम	417	0	463	138	514	154	571	170	633	189	2,598	651	**3,249**
बिहार	1,178	0	1,307	390	1,451	432	1,611	480	1,788	532	7,335	1,834	**9,169**
छत्तीसगढ़	641	0	711	212	790	235	877	261	973	290	3,992	998	**4,990**
गोवा	93	0	103	31	115	34	128	38	142	42	581	145	**726**
गुजरात	3,053	0	3,388	1,010	3,761	1,120	4,175	1,243	4,634	1,380	19,011	4,753	**23,764**
हरियाणा	1,006	0	1,117	333	1,240	369	1,376	410	1,528	455	6,267	1,567	**7,834**
हिमाचल प्रदेश	56	0	63	18	68	21	76	23	85	25	348	87	**435**
झारखंड	783	0	869	258	964	288	1,070	319	1,188	354	4,874	1,219	**6,093**
कर्नाटक	2,374	0	2,635	785	2,926	871	3,247	967	3,604	1,074	14,786	3,697	**18,483**
केरल	2,143	0	2,379	708	2,641	786	2,931	873	3,253	969	13,347	3,336	**16,683**
मध्य प्रदेश	2,057	0	2,284	680	2,535	755	2,814	838	3,123	930	12,813	3,203	**16,016**
महाराष्ट्र	6,012	0	6,673	1,988	7,408	2,206	8,222	2,449	9,127	2,718	37,442	9,361	**46,803**
मणिपुर	78	0	87	26	96	29	107	32	119	35	487	122	**609**
मेघालय	49	0	54	16	59	18	66	20	74	21	302	75	**377**
मिजोरम	49	0	54	16	59	18	66	20	74	21	302	75	**377**
नागालैंड	86	0	95	28	106	31	117	35	130	39	534	133	**667**
ओडिशा	652	0	724	216	804	239	892	266	990	295	4,062	1,016	**5,078**
पंजाब	1,006	0	1,117	333	1,240	369	1,376	410	1,528	455	6,267	1,567	**7,834**
राजस्थान	1,629	0	1,808	538	2,007	598	2,228	663	2,473	736	10,145	2,535	**12,680**
सिक्किम	26	0	29	9	32	10	36	10	39	12	162	41	**203**
तमिलनाडु	3,220	0	3,574	1,065	3,967	1,182	4,404	1,312	4,889	1,456	20,054	5,015	**25,069**
तेलंगाना	1,483	0	1,647	490	1,828	544	2,029	604	2,252	671	9,239	2,309	**11,548**
त्रिपुरा	130	0	145	43	161	48	179	53	198	59	813	203	**1,016**
उत्तर प्रदेश	4,309	0	4,783	1,424	5,309	1,581	5,893	1,755	6,541	1,948	26,835	6,708	**33,543**
उत्तराखंड	321	0	356	106	395	118	438	131	487	145	1,997	500	**2,497**
पश्चिम बंगाल	2,829	0	3,140	935	3,486	1,038	3,869	1,152	4,295	1,279	17,619	4,404	**22,023**
कुल	**37,272**	**0**	**41,372**	**12,322**	**45,923**	**13,678**	**50,975**	**15,182**	**56,583**	**16,850**	**2,32,125**	**58,032**	**2,90,157**

स्त्रोत: 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का खंड-II

अनुबंध-II

यूएलबी अनुदानों में राज्यों की आपस में हिस्सेदारी

राज्य	शहरी जनसंख्या ('000)	यूएलबी के कुल अपने राजस्व का योग (करोड़)	माध्यमिक + तृतीयक जीएसवीए (करोड़)	ओएसआर/ योग का योग जीएसवीए की संख्या	ओएसआर का उत्पाद अनुपात और शहरी जनसंख्या ('000)	शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी (90%)	उत्पाद ओएसआर अनुपात हिस्सेदारी (10%)	शहरी आपस में (%)
1	2	3	4	5=3/4	6=5*2	7	8	9=7+8
आंध्र प्रदेश	20,789	9,112	22,41,646	0.00406	84.40	3.84	0.3519	4.19
अरुणाचल प्रदेश	426	22	69,227	0.00031	0.13	0.08	0.0005	0.08
असम	5,902	973	8,10,839	0.00120	7.08	1.09	0.0295	1.12
बिहार	16,743	1,451	16,92,268	0.00086	14.40	3.10	0.0601	3.16
छत्तीसगढ़	8,871	1,950	9,38,597	0.00208	18.45	1.64	0.0769	1.72
गोवा	1,274	420	2,12,398	0.00198	2.52	0.24	0.0105	0.25
गुजरात	37,629	28,895	36,74,151	0.00786	295.76	6.96	1.2333	8.19
हरियाणा	13,914	4,699	21,01,397	0.00224	31.17	2.57	0.1300	2.70
हिमाचल प्रदेश	789	420	4,59,580	0.00091	0.72	0.15	0.0030	0.15
झारखंड	11,043	1,062	8,88,133	0.00120	13.25	2.04	0.0553	2.10
कर्नाटक	31,906	19,260	55,04,895	0.00350	111.67	5.90	0.4656	6.37
केरल	29,912	4,299	24,80,084	0.00173	51.75	5.53	0.2158	5.75
मध्य प्रदेश	26,499	10,896	19,44,724	0.00560	148.39	4.90	0.6188	5.52
महाराष्ट्र	64,254	1,32,509	83,49,127	0.01587	1,019.71	11.88	4.2521	16.13
मणिपुर	1,111	27	86,737	0.00031	0.34	0.21	0.0014	0.21
मेघालय	720	21	97,432	0.00021	0.15	0.13	0.0006	0.13
मिजोरम	714	28	67,478	0.00042	0.30	0.13	0.0013	0.13
नागालैंड	1,175	80	76,465	0.00105	1.23	0.22	0.0051	0.23
ओडिशा	9,213	1,731	13,61,752	0.00127	11.70	1.70	0.0488	1.75
पंजाब	13,547	4,771	13,95,528	0.00342	46.33	2.51	0.1932	2.70
राजस्थान	22,796	4,499	26,25,291	0.00171	38.98	4.21	0.1625	4.37
सिक्किम	401	50	1,10,076	0.00045	0.18	0.07	0.0008	0.07
तमिलनाडु	42,908	21,407	53,89,198	0.00397	170.34	7.93	0.7103	8.64
तेलंगाना	19,435	14,057	28,91,354	0.00486	94.45	3.59	0.3938	3.98
त्रिपुरा	1,850	174	1,05,194	0.00166	3.07	0.34	0.0128	0.35
उत्तर प्रदेश	59,858	8,917	45,73,548	0.00195	116.72	11.07	0.4867	11.56
उत्तराखंड	4,529	739	7,15,777	0.00103	4.66	0.84	0.0194	0.86
पश्चिम बंगाल	38,570	9,389	32,82,245	0.00286	110.31	7.13	0.4600	7.59
कुल	**4,86,778**	**2,81,858**	**5,41,45,139**	**0.07457**	**2,398.16**	**90.00**	**10.00**	**100.00**

स्त्रोत: 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का खंड-II

अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और समय-सीमा का सारांश

क्र.सं.	अनुदान की शर्त/समयसीमा	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
1	राज्य सरकार द्वारा पिछली किस्त का अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	✓	✓	✓	✓	✓
2	एक विधिवत गठित स्थानीय निकाय मौजूद है	✓	✓	✓	✓	✓
3	- पिछले वर्ष के लिए राज्य के सभी यूएलबी के ऑनलाइन अनंतिम खातों और पिछले वर्ष से पहले के वर्ष के लेखा परीक्षित खातों की उपलब्धता।	✓	✓	✓	✓	✓
4	पिछले एसएफसी के गठन से पांच वर्ष की समाप्ति पर एसएफसी का गठन और एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर एटीआर को राज्य विधानमंडल में पेश किया गया।	✓	✓	✓	✓	✓
5	16वें वित्त आयोग अनुदान लेनदेन के लिए पीएफएमएस से जुड़े यूएलबी खाते	✓	✓	✓	✓	✓
6	यूएलबी द्वारा विस्तृत उपयोग रिपोर्ट और परियोजना रिपोर्टिंग	✓	✓	✓	✓	✓
7	यूएलबी निष्पादन घटक (दिशानिर्देशों के पैरा 6.2 को देखें)	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓
8	राज्य निष्पादन अनुदान (दिशानिर्देशों के पैरा 6.3 को देखें)	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓
9	पहली किस्त का दावा करने के लिए यूएलबी द्वारा 28 सेवा स्तरीय बेंचमार्क (एसएलबी) का प्रकाशन	✓	✓	✓	✓	✓
10	अनाबद्ध और आबद्ध अनुदान	प्रत्येक वित्त वर्ष का जून माह (1 किस्त) और अक्टूबर माह (2 किस्त)				
11	राज्य निष्पादन अनुदान जारी करना	प्रत्येक वित्त वर्ष का जून माह (एकल किस्त) (वर्ष 2027-28 से)				
12	अवितरित राज्य निष्पादन अनुदान जारी करना	प्रत्येक वित्त वर्ष का अक्टूबर माह (एकल किस्त) (वर्ष 2027-28 से)				
13	यूएलबी निष्पादन अनुदान जारी करना	प्रत्येक वित्त वर्ष का अक्टूबर माह (एकल किस्त) (वर्ष 2027-28 से)				
14	अवितरित यूएलबी निष्पादन अनुदान जारी करना	प्रत्येक वित्त वर्ष का दिसंबर माह (एकल किस्त) (वर्ष 2027-28 से)				

[वित्त वर्ष- वित्तीय वर्ष, एनए- लागू नहीं]

विशेष मूल घटक: पात्र शहर

क्र.सं.	शहर	राज्य	जनसंख्या (जनगणना 2011)
1	**पुणे**	महाराष्ट्र	31,24,458
2	**जयपुर**	राजस्थान	30,46,163
3	**लखनऊ**	उत्तर प्रदेश	28,17,105
4	**कानपुर**	उत्तर प्रदेश	27,65,348
5	**नागपुर**	महाराष्ट्र	24,05,665
6	**इंदौर**	मध्य प्रदेश	19,64,086
7	**भोपाल**	मध्य प्रदेश	17,98,218
8	**विशाखापत्तनम**	आंध्र प्रदेश	17,28,128
9	**पटना**	बिहार	16,84,222
10	**वडोदरा**	गुजरात	16,70,806
11	**लुधियाना**	पंजाब	16,18,879
12	**फरीदाबाद**	हरियाणा	14,14,050
13	**राजकोट**	गुजरात	12,86,678
14	**धनबाद**	झारखंड	11,62,472
15	**अमृतसर**	पंजाब	11,32,383
16	**हावड़ा**	पश्चिम बंगाल	10,77,075
17	**रांची**	झारखंड	10,73,427
18	**कोयंबटूर**	तमिलनाडु	10,50,721
19	**विजयवाड़ा**	आंध्र प्रदेश	10,34,358
20	**जोधपुर**	राजस्थान	10,33,756
21	**मदुरै**	तमिलनाडु	10,17,865
22	**रायपुर**	छत्तीसगढ़	10,10,433

स्त्रोत: 16वें वित्त आयोग का खंड-II

सोलहवें वित्त आयोग द्वारा उसकी अधिनिर्णय अवधि 2026-27 से 2030-2031 के दौरान अनुशंसित शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त अनुदान हेतु अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र

राज्य का नाम :-

1.	राज्य में यूएलबी की कुल संख्या				राज्य में विधिवत निर्वाचित यूएलबी की संख्या#		
2.	राज्य द्वारा प्राप्त शर्त रहित अनुदान/आबद्ध अनुदान/शहरीकरण प्रीमियम अनुदान/एसआईसी अनुदान का विवरण:*	वर्ष	किस्त		राशि (लाख रुपए में)	प्राप्ति की तिथि	
3.	राज्य द्वारा हस्तांतरित शर्त रहित अनुदान/आबद्ध अनुदान शहरीकरण प्रीमियम अनुदान/एसआईसी अनुदान का विवरण:*	वर्ष	किस्त	राशि (लाख रुपए में)	हस्तांतरण की तिथि	विलंब के दिनों की संख्या	यदि विलंब हुआ है, तो हस्तांतरित ब्याज की राशि (ब्याज दर के साथ)
4.	क्या राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की अनुशंसाएं उपलब्ध हैं	हां/ नहीं	अनुदान एसएफसी की अनुशंसा के अनुसार या 16वें वित्त आयोग की अनशंसा के अनुसार वितरित किया गया	एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	वह तिथि, जब एटीआर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया है	वह अवधि जिसके लिए एसएफसी अनुशंसा लागू होती हैं	
5.	क्या सभी लेनदेन के लिए 16वें वित्त आयोग अनुदान के लिए यूएलबी खाते पीएफएमएस से जुड़े है					हां/ नहीं	
6.	14वें या पिछले वित्त आयोग से अव्ययित शेष/धनराशि, यदि कोई हो, उपलब्ध है (लाख में राशि)##						

7.	15वें वित्त आयोग से उपलब्ध अव्ययित शेष/धनराशि, यदि कोई हो, उपलब्ध है (लाख में राशि)##		
8.	पिछले वर्ष के यूएलबी अनुदान का अब तक उपयोग किया गया प्रतिशत	शर्त रहित अनुदान लिए	आबद्ध अनुदान के लिए
9	अब तक उपयोग किया गया पिछले वर्ष के आबद्ध अनुदान का प्रतिशत	स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए	जल प्रबंधन के लिए
10	कुल में से, उन यूएलबी की संख्या जिन्होंने अपने सेवा स्तर के बेंचमार्क प्रकाशित किए		

*जो भी लागू न हो उसे काट दें।

चुनाव की स्थिति और आवंटन के साथ यूएलबी की हस्ताक्षरित सूची प्रत्येक वित्त वर्ष की पहली किस्त के दावे के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

यूएलबी की हस्ताक्षरित सूची में खर्च नहीं की गई शेष राशि प्रस्तुत की जानी चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदानों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है और यदि कोई अंतर मिलेगा, तो उसे सूचित किया जाएगा।

दिनांक:
सचिव (नोडल विभाग)
के मुहर के साथ हस्तक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित:
वित्त सचिव की मुहर के साथ हस्ताक्षर

अधिनिर्णय अवधि 2026-2027 से 2030-2031 तक की अवधि के दौरान प्राप्त सोलहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आबद्ध अनुदान के लिए अनुदान/विस्तृत उपयोग रिपोर्ट

राज्य का नाम

यूएलबी का नाम-

क्र.सं.	मद का विवरण	राशि (लाख रुपये में)	शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या	इसमें शामिल कुल परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1.	पिछली किस्त/वर्ष का अप्रयुक्त आबद्ध अनुदान शेष		x	x
2.	पिछले वर्ष प्राप्त आबद्ध अनुदान [पहली और दूसरी किस्त मिलाकर]		x	x
3.	पिछले वर्ष किया गया व्यय		x	x
4.	वर्ष के अंत में समापन शेष		x	x
5.	अनुदान का घटकवार उपयोग	x	x	x
	क. जल प्रबंधन (डब्ल्यूएम) जैसे	डब्ल्यूएम पर उपयोग की गई आबद्ध अनुदान की कुल राशि और प्रतिशत [ ]		x
	i. पेयजल आपूर्ति			
	ii. वर्षा जल संचयन			
	iii. जल पुनर्चक्रण			
	iv. जल निकायों का जीर्णोद्धार			
	v. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)			
	ख. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) जैसे	एसडब्ल्यूएम पर उपयोग की गई आबद्ध अनुदान की कुल राशि और प्रतिशत [ ]		x
	i. स्वच्छता			
	ii. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन			
	Iii अन्य कृपया निर्दिष्ट करें			

परियोजना का विवरण								
क्र.सं	**परियोजना का नाम**	**क्षेत्र (जल प्रबंधन/स्वच्छता/ एसडब्ल्यूएम)**	**क्या डीपीआर तैयार किया गया है?**	**कुल परियोजना लागत**	**कुल परियोजना लागत में वित्त आयोग अनुदान का प्रतिशत**	**कुल वित्त आयोग अनुदान में से किया गया व्यय**	**भौतिक पूर्णता का%**	**स्थान [तस्वीरों के साथ परियोजना की जियो-फेंसिंग और जियो-टैगिंग]]**

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी यूएलबी में बनाए जा रहे प्रासंगिक रिकॉर्ड से निकाली गई है और यह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

यूएलबी में आयुक्त या उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर